

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर।

विषय—

ओबरा—सी बदायूँ द्रांसमिशन लिंग द्वारा प्रस्तावित 400 कोटी० लबल सर्किट जौनपुर—ओबरा पारेषण लाइन के निर्माण में मीरजापुर वन प्रभाग में प्रभावित 46.778 हेठो आरक्षित व 0.101 हेठो संरक्षित वनभूमि (46.879 हेठो वनभूमि) के गैर वानिकी प्रयोग तथा प्रभावित 364 वृक्षों एवं 494 बॉस कोटी में से 238 वृक्षों एवं 290 बॉस कोटी के पातन, ओबरा वन प्रभाग में प्रभावित 2.434 हेठो आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग, जौनपुर वन प्रभाग की 0.518 हेठो संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं प्रभावित 28 वृक्षों में से 16 वृक्षों के पातन, वाराणसी वन प्रभाग में प्रभावित 0.265 हेठो संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं प्रभावित 03 वृक्षों के पातन की अनुमति एवं कैगूर वन्यजीव प्रभाग मीरजापुर में प्रभावित 39.536 हेठो आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग तथा प्रभावित 605 वृक्षों एवं 17 बॉस कोटी में से 310 वृक्षों एवं 09 बॉस कोटी के पातन अर्थात कुल 88.748 हेठो आरक्षित एवं 0.884 हेठो संरक्षित, कुल योग 89.632 हेठो वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं प्रभावित 980 वृक्षों एवं 511 बॉस कोटी में से कुल 567 वृक्षों/पौधों एवं 290 बॉस कोटी के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ—

आपका पत्रांक—4176/मी०ष०/३३, दिनांक—०२.०३.२०२०

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा विषयगत प्रकरण का प्रत्याव ग्राह्य हुआ। परीक्षणोपरान्त प्रस्ताव में ऑन—लाइन एवं हार्ड कॉपी में निम्नलिखित कमियों/अभिलेखों का आणाव पाया गया:

ओबरा वन प्रभाग—

- प्रत्याव गते आरक्षित वनभूमि प्रभावित हो रही है, अतः प्रस्तावित आरक्षित वनभूमि का जिलाधिकारी से मूल्य निश्चित कराकर मूल्य के बराबर प्रीमियम (वनभूमि का गूल्य) और प्रीमियम का 10 प्रतिशत वार्षिक लीज रेट वन प्रभाग के पक्ष में भुगतान किये जाने की स्पष्ट वचनबद्धता संलग्न नहीं है। अतः स्पष्ट वचनबद्धता संलग्न करें।
- परियोजना में प्रभावित वनभूमि के सापेक्ष दुगने अवनत वनभूमि पर 09 वर्षों का अनुरक्षण सहित क्षतिपूरक वृक्षारोपण का विस्तृत प्राक्कलन संलग्न किया गया है जोकि पूर्ण नहीं है। अतः 10 वर्षों का अनुरक्षण सहित क्षतिपूरक वृक्षारोपण का विस्तृत प्राक्कलन संलग्न कर ऑनलाइन अपलोड करे तथा संशोधित धनराशि ऑनलाइन भाग—2 व हार्ड कॉपी भाग—2 में भी सही करें।
- परियोजना से 10 किमी० की परिधि में कोई सेन्चुरी/वन्य जीव विहार न होने के सम्बन्ध में प्रभागीय वनाधिकारी का प्रमाण—पत्र संलग्न नहीं है।
- ऑनलाइन भाग—2 के क्रमांक—५ में त्रुटिपूर्ण डाटा फील्ड किया गया है। अतः सही डाटा फील्ड करे।
- परियोजना में लागत लाभ विश्लेषण से सम्बन्धित प्रमाण पत्र संलग्न है, किन्तु प्रमाण पत्र में एन०पी०वी० की दर त्रुटिपूर्ण आगणित की गयी है। अतः सही एन०पी०वी० की दर आगणित कर संशोधित लागत लाभ विश्लेषण निर्धारित प्रारूप में संलग्न कर ऑनलाइन अपलोड करे।

वाराणसी वन प्रभाग—

- भू—रक्षागत वाले विभाग (लो०नि०वि०/एन०एच०ए०आई०/रेलवे) का अनापत्ति प्रमाण पत्र जमा किये जाने की वचनबद्धता संलग्न है, जोकि स्वीकार नहीं है। अतः भू—स्वामित्व वाले विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न कर ऑनलाइन अपलोड करें।
- परियोजना से 10 किमी० की परिधि में कोई सेन्चुरी/वन्य जीव विहार न होने के सम्बन्ध में प्रभागीय वनाधिकारी का प्रमाण—पत्र संलग्न नहीं है।
- ऑनलाइन भाग—2 के क्रमांक—५ में त्रुटिपूर्ण डाटा फील्ड किया गया है। अतः सही डाटा फील्ड करे।
- परियोजना में लागत लाभ विश्लेषण से सम्बन्धित प्रमाण पत्र संलग्न है, किन्तु प्रमाण पत्र में एन०पी०वी० की दर त्रुटिपूर्ण आगणित की गयी है। अतः सही एन०पी०वी० की दर आगणित कर संशोधित लागत लाभ विश्लेषण निर्धारित प्रारूप में संलग्न कर ऑनलाइन अपलोड करे।

जौनपुर वन प्रभाग—

- प्रस्तावित वनभूमि पर प्रस्तावित पारेषण लाइन के नीचे बौने (औषधीय) पौधों के वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों का अनुरक्षण सहित प्राक्कलन संलग्न है, जोकि भारत सरकार की नवीनतम गाइडलाइन के अनुसार नहीं है। चूंकि जौनपुर वन प्रभाग में 1 हेठो से कम वनभूमि प्रभावित है। अतः इसे प्रस्ताव से पृथक कर भारत सरकार की नवीनतम गाइडलाइन के अनुसार कम से कम 1 हेठो में औषधीय पौधों के वृक्षारोपण का 10 वर्षों का अनुरक्षण सहित प्राक्कलन संलग्न कर ऑनलाइन भाग—2 में अपलोड करे।
- भू—रक्षागत वाले विभाग (रेलवे एवं एन०एच०ए०आई०) का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है।
- परियोजना से 10 किमी० की परिधि में कोई सेन्चुरी/वन्य जीव विहार न होने के सम्बन्ध में प्रभागीय वनाधिकारी का प्रमाण—पत्र संलग्न नहीं है।

4. ऑनलाइन भाग-2 के क्रमांक-5 में त्रुटिपूर्ण डाटा फीड किया गया है। अतः सही डाटा फीड करें।
5. परियोजना में लागत लाभ विश्लेषण से संबंधित प्रमाण पत्र संलग्न है, किन्तु प्रमाण पत्र में एन०पी०वी० की दर त्रुटिपूर्ण आगणित की गयी है। अतः सही एन०पी०वी० की दर आगणित कर संशोधित लागत लाभ विश्लेषण निर्धारित प्रारूप में संलग्न कर ऑनलाइन अपलोड करें।

मीरजापुर वन प्रभाग:-

1. प्रस्ताव में आरक्षित वनभूमि प्रभावित हो रही है, अतः प्रस्तावित आरक्षित वनभूमि का जिलाधिकारी से मूल्य निश्चित कराकर मूल्य के बराबर प्रीमियम (वनभूमि का मूल्य) और प्रीमियम का 10 प्रतिशत वार्षिक लीज रेट वन विभाग के पक्ष में भुगतान किये जाने की स्पष्ट वचनबद्धता संलग्न नहीं है। अतः स्पष्ट वचनबद्धता संलग्न करें।
2. परेषण लाइन में आने वाले वृक्षों की गणना वैज्ञानिक नाम साहित सूची संलग्न की गयी है किन्तु प्रस्ताव के पृष्ठ सं०-७६ पर संलग्न सूची में 367 वृक्षों का उल्लेख किया गया है, जोकि गलत है।
3. ऑनलाइन भाग-2 के क्रमांक-5 में त्रुटिपूर्ण डाटा फीड किया गया है। अतः सही डाटा फीड करें।
4. परियोजना में लागत लाभ विश्लेषण से संबंधित प्रगाण पत्र संलग्न है, किन्तु प्रगाण पत्र में एन०पी०वी० की दर त्रुटिपूर्ण आगणित की गयी है। अतः सही एन०पी०वी० की दर आगणित कर संशोधित लागत लाभ विश्लेषण निर्धारित प्रारूप में संलग्न कर ऑनलाइन अपलोड करें।

कैम्पस वन्यजीव प्रभाग:-

1. प्रस्ताव में आरक्षित वनभूमि प्रभावित हो रही है, अतः प्रस्तावित आरक्षित वनभूमि का जिलाधिकारी से मूल्य निश्चित कराकर मूल्य के बराबर प्रीमियम (वनभूमि का मूल्य) और प्रीमियम का 10 प्रतिशत वार्षिक लीज रेट वन विभाग के पक्ष में भुगतान किये जाने की स्पष्ट वचनबद्धता संलग्न नहीं है। अतः स्पष्ट वचनबद्धता संलग्न करें।
2. परियोजना में लागत लाभ विश्लेषण से संबंधित प्रमाण पत्र संलग्न है, किन्तु प्रगाण पत्र में एन०पी०वी० की दर त्रुटिपूर्ण आगणित की गयी है। अतः सही एन०पी०वी० की दर आगणित कर संशोधित लागत लाभ विश्लेषण निर्धारित प्रारूप में संलग्न कर ऑनलाइन अपलोड करें।
3. परियोजना में प्रभावित वनभूमि के सापेक्ष दुगने अवनत चन्द्रभूगि पर 09 वर्षों का अनुरक्षण सहित क्षतिपूरक वृक्षारोपण का विस्तृत प्रावक्कलन संलग्न किया गया है जोकि पूर्ण नहीं है। अतः 10 वर्षों का अनुरक्षण साहित क्षतिपूरक वृक्षारोपण का विस्तृत प्रावक्कलन संलग्न कर ऑनलाइन अपलोड करें तथा संशोधित धनराशि ऑनलाइन भाग-2 व हार्ड कापी भाग-2 में भी सही करें।
4. प्रस्तावित वनभूमि पर प्रस्तावित पारेषण लाइन के नीचे बौने (औषधीय) पौधों के वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों का अनुरक्षण साहित प्रावक्कलन संलग्न है, किन्तु प्रावक्कलन 12.033 हेक्टर पर ही प्रस्तावित है, जबकि प्रभाग में 39.536 हेक्टर वनभूमि प्रभावित हो रही है। अतः इस अंतर को स्पष्ट करते हुये संशोधित बौने (औषधीय) पौधों के वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों का अनुरक्षण सहित प्रावक्कलन संलग्न कर ऑनलाइन अपलोड करें।
5. ऑनलाइन भाग-2 के क्रमांक-5 में त्रुटिपूर्ण डाटा फीड किया गया है। अतः सही डाटा फीड करें।
6. ऑनलाइन भाग-2 के Additional Information Detail में सभी आवश्यक प्रमाण पत्र अपलोड नहीं किया गया है। अतः सभी आवश्यक प्रमाण पत्र अपलोड करें।

कृपया किसी कार्यालय प्रतिनिधि के द्वारा प्रस्ताव की 03-03 प्रतियों प्राप्त कराकर, इंगित कर्मियों के निराकरण के पश्चात पूर्ण संशोधित एवं समेकित प्रस्ताव इस कार्यालय को 03 प्रतियों में तत्काल उपलब्ध करायें, ताकि आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

भवदीय

(पंकज मिश्र)

मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

पत्रांक:- १८०० / FP/UP/Trans/40906/2019, दिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु विभिन्न:

1. मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव पश्चिमी क्षेत्र, कानपुर।
2. वन संरक्षक, वाराणसी यूनिट, वाराणसी।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, ओवरा, वाराणसी, जौनपुर, मिजांपुर एवं केम्बूर वन्यजीव प्रभाग, गीरजापुर।
4. पहाड़पंचांग, ओवरा-सी बदायूँ द्रांसमिशन लिंग, मकान नं०-116, ग्रीन पार्क कालोनी, बिलासपुर रोड, बरेली।

पत्रांक ५२५। तिथि ०३ अगस्त २०२०

(पंकज मिश्र)

कृपया (पंकज मिश्र) जीर्णपत्र (पंकज मिश्र) मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, उ०प्र०, लखनऊ।

कृपया कालोनी बिलासपुर रोड, बरेली।